



आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली

दिनांक: 08-07-2026

सूचना

विषय: - राज्य सरकार/ ईएसआई/ रेलवे/ पीएसयू/ एफएमएस द्वारा आयोजित काउंसलिंग के माध्यम से इन-सर्विस पोस्ट डिप्लोमा डीएनबी सीटों के लिए चयनित उम्मीदवारों की काउंसलिंग और ज्वाइनिंग - 2026 प्रवेश सत्र।

कृपया ध्यान दें: 2026 प्रवेश सत्र के लिए सेवारत उम्मीदवारों हेतु आरक्षित 50% एनबीईएमएस राज्य कोटे की पोस्ट डिप्लोमा डीएनबी सीटों की काउंसलिंग में भाग लेने वाले उम्मीदवार/ संस्थान/ अस्पताल।

1. राज्य सरकारों/ ईएसआई/ रेलवे/ पीएसयू/ एफएमएस द्वारा अपने पास रखी गई पोस्ट डिप्लोमा डीएनबी सीटों को, संबंधित काउंसलिंग आयोजन प्राधिकरण (Counseling Conducting Authority) द्वारा आयोजित काउंसलिंग के माध्यम से भरा जाएगा।
2. सभी काउंसलिंग आयोजन प्राधिकरण सेवारत राज्य कोटे की पोस्ट डिप्लोमा डीएनबी सीटों के लिए काउंसलिंग के सभी दौर को दिनांक **20.08.2026** को या उससे पहले पूरा करेंगे।
3. संबंधित काउंसलिंग आयोजन प्राधिकरण द्वारा सीट आवंटन के बाद, प्रत्येक उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित मूल दस्तावेजों के साथ काउंसलिंग आयोजन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवंटित संस्थान/अस्पताल में व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा:
 - पोस्ट डिप्लोमा डीएनबी सीट काउंसलिंग - 2026 प्रवेश सत्र की पुस्तिका में निर्धारित दस्तावेज;
 - काउंसलिंग आयोजन प्राधिकरण द्वारा जारी सीट आवंटन पत्र; और
 - मूल संगठन द्वारा जारी कार्यमुक्त पत्र /अध्ययन अवकाश पत्र।
4. सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवंटित संस्थान/अस्पताल में रिपोर्ट करने से पहले, एनबीईएमएस द्वारा प्रकाशित **पोस्ट डिप्लोमा डीएनबी सीट काउंसलिंग - 2026 प्रवेश सत्र की पुस्तिका** और **पीडीसीईटी 2026 सूचना विवरणिका** में निर्धारित पात्रता मानदंड, अनिवार्य दस्तावेजों और अन्य शर्तों के संदर्भ में **अपनी पात्रता की पुनः जांच** कर लें।

उम्मीदवार ध्यान दें कि आवंटित सीट पर प्रवेश अनंतिम रहेगा और यह एनबीईएमएस द्वारा पात्रता के सत्यापन के अधीन होगा। **स्थायी पंजीकरण संख्या** केवल उन्हीं उम्मीदवारों को जारी की जाएगी जो एनबीईएमएस द्वारा उनके दस्तावेजों और पात्रता की जांच के बाद पात्र पाए जाएंगे। यदि किसी भी चरण में, कोई उम्मीदवार अपात्र पाया जाता है या निर्धारित पात्रता मानदंडों या दस्तावेजों की आवश्यकताओं को

पूरा करने में विफल रहता है, तो सीट के आवंटन या संस्थान/अस्पताल में ज्वाइन करने के बावजूद, लागू एनबीईएमएस नियमों के अनुसार उम्मीदवारी/प्रवेश रद्द किए जाने योग्य होगा।

5. सभी आवंटित संस्थानों/अस्पतालों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे ज्वाइनिंग के समय उम्मीदवार द्वारा जमा किए गए सभी मूल दस्तावेजों का सत्यापन करें, जिसमें काउंसलिंग आयोजन प्राधिकरण द्वारा जारी सीट आवंटन पत्र और मूल संगठन द्वारा जारी कार्यमुक्त पत्र /अध्ययन अवकाश शामिल हैं। इसके साथ ही संस्थान/अस्पताल एनबीईएमएस द्वारा प्रकाशित **पोस्ट डिप्लोमा डीएनबी सीट काउंसलिंग - 2026 प्रवेश सत्र की पुस्तिका** और **पीडीसीईटी 2026 सूचना विवरणिका** में निर्धारित अनिवार्य दस्तावेजों, पात्रता मानदंडों और अन्य शर्तों से भली-भांति अवगत हो लें तथा केवल उन्हीं उम्मीदवारों को ज्वाइन करने की अनुमति दें जो सभी निर्धारित पात्रता मानदंडों और दस्तावेजी आवश्यकताओं को पूरा करते हों।

[पोस्ट डिप्लोमा डीएनबी सीट काउंसलिंग - 2026 प्रवेश सत्र की पुस्तिका देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।](#)

[पीडीसीईटी 2026 सूचना विवरणिका देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।](#)

6. यदि कोई भी संस्थान/अस्पताल किसी अपात्र उम्मीदवार या निर्धारित अनिवार्य दस्तावेज न रखने वाले उम्मीदवार को ज्वाइन कराने की अनुमति देते हुए पाया जाता है, या अन्यथा उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो ऐसे प्रत्येक उम्मीदवार के लिए ₹1,00,000/- (केवल एक लाख रुपये) का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई लागू नियमों, विनियमों और प्रत्यायन मानदंडों के तहत एनबीईएमएस द्वारा की जाने वाली किसी अन्य कानूनी कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना होगी।
7. उम्मीदवार को संबंधित एनबीईएमएस मान्यता प्राप्त संस्थान/अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा। केवल चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ घोषित उम्मीदवारों को ही पाठ्यक्रम में जॉइन होने की अनुमति दी जाएगी।
8. किसी भी उम्मीदवार को संबंधित काउंसलिंग आयोजन प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित काउंसलिंग कार्यक्रम में निर्धारित समय-सीमा के बाद आवंटित पोस्ट डिप्लोमा इन-सर्विस डीएनबी सीट पर ज्वाइन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।


हालांकि, यदि कोई उम्मीदवार उम्मीदवार के नियंत्रण से बाहर के कारणों से मूल संगठन द्वारा कार्यमुक्त न किए जाने के कारण निर्धारित समय-सीमा के भीतर ज्वाइन करने में असमर्थ है, तो संबंधित संस्थान/अस्पताल विचार और अनुमोदन के लिए दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ उम्मीदवार के विलंबित ज्वाइनिंग के अनुरोध को एनबीईएमएस को प्रस्तुत करेगा।

ऐसे उम्मीदवार को केवल निम्नलिखित के बाद ही आवंटित सीट पर ज्वाइन करने की अनुमति दी जाएगी:

- मूल संगठन द्वारा औपचारिक रूप से कार्यमुक्त किए जाने के बाद; और
- विलंबित ज्वाइनिंग के लिए एनबीईएमएस की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद।

9. आवंटित संस्थान/अस्पताल ऐसे उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग का विवरण ओपीजेआर पोर्टल पर काउंसलिंग के सभी दौर पूरे होने के बाद ही अपलोड कर सकेंगे, अर्थात् दिनांक 20.08.2026 के बाद।
10. ओपीजेआर पोर्टल को सक्रिय करने के संबंध में एक अलग सूचना एनबीईएमएस द्वारा यथासमय जारी की जाएगी। सभी उम्मीदवारों और संस्थानों/अस्पतालों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से एनबीईएमएस की वेबसाइट पर जाएं और समय-समय पर एनबीईएमएस द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिस/निर्देशों से अपडेट रहें।
11. किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण या सहायता के लिए, प्रश्न/पूछताछ केवल एनबीईएमएस कम्युनिकेशन वेब पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

<https://exam.natboard.edu.in/communication.php?page=main>



एनबीईएमएस



**NATIONAL BOARD OF EXAMINATIONS
IN MEDICAL SCIENCES
NEW DELHI**

Dated: 08.07.2026

NOTICE

Subject: - Counseling and Joining of candidates selected for In-service Post Diploma DNB seats through the Counseling conducted by the State Govt./ ESI/ Railways/ PSU/ AFMS – 2026 admission session.

Kind attention: Candidates/ Institutes/ Hospitals participating in Counseling for 50% NBEMS State Quota Post Diploma seats reserved for In-service candidates for 2026 admission session.

1. The Post Diploma DNB seats retained by the State Governments/ESI/Railways/PSUs/AFMS shall be filled through the counseling conducted by the respective Counseling Conducting Authority.
2. All Counseling Conducting Authorities shall complete all rounds of counseling for In-service State Quota Post Diploma DNB seats on or before **20.08.2026**.
3. After allotment of a seat by the concerned Counseling Conducting Authority, it shall be mandatory for every candidate to report **in person** to the allotted institute/hospital within the timeline prescribed by the Counseling Conducting Authority, carrying the following original documents:
 - Documents prescribed in the **Handbook for Post Diploma DNB Seats Counseling – 2026 Admission Session**;
 - Seat Allotment Letter issued by the Counseling Conducting Authority; and
 - Relieving Letter/Study Leave issued by the Parent Organization.
4. All candidates are advised to **re-check their eligibility** with reference to the eligibility criteria, mandatory documents and other conditions prescribed in the **Handbook for Post Diploma DNB Seats Counseling – 2026 Admission Session** and the **PDCET 2026 Information Bulletin** published by NBEMS before reporting to the allotted institute/hospital.

Candidates may note that admission to the allotted seat shall remain **provisional** and shall be subject to verification of eligibility by NBEMS. The **Permanent Registration Number** shall be issued only to those candidates who are found eligible upon scrutiny of their documents and eligibility by NBEMS. If, at any stage, a candidate is found ineligible or fails to fulfil the prescribed eligibility criteria or documentary requirements, the candidature/admission shall be liable to be cancelled in accordance with the applicable NBEMS rules, notwithstanding the allotment of the seat or joining at the institute/hospital.

5. All allotted institutes/hospitals shall mandatorily verify all original documents submitted by the candidate at the time of joining, including the Seat Allotment Letter issued by the Counseling Conducting Authority and the Relieving Letter/Study Leave issued by the Parent Organization. The institutes/hospitals shall also familiarize themselves with the mandatory documents, eligibility criteria and other conditions prescribed in the **Handbook for Post Diploma DNB Seats Counseling – 2026 Admission Session** and the **PDCET 2026 Information Bulletin** published by NBEMS and shall permit joining **only** of those candidates who fulfil all the prescribed eligibility criteria and documentary requirements.


[Click here to view the Handbook for Post Diploma DNB Seats Counseling – 2026 Admission Session](#)

[Click here to view the PDCET 2026 Information Bulletin](#)

6. **Any institute/hospital found to have permitted the joining of an ineligible candidate or a candidate not possessing the prescribed mandatory documents, or otherwise failed to comply with the above directions, shall be liable for imposition of a penalty of ₹1,00,000/- (Rupees One Lakh only) for each such candidate, without prejudice to any other action that may be taken by NBEMS under the applicable rules, regulations and accreditation norms.**
7. The candidate shall undergo a medical examination by the Medical Board of the concerned NBEMS-accredited institute/hospital. **Only candidates declared medically fit** shall be permitted to join the course.
8. No candidate shall be permitted to join the allotted Post Diploma In-service DNB seat beyond the timeline prescribed in the counseling schedule published by the respective Counseling Conducting Authority.
- However, where a candidate is unable to join within the prescribed timeline solely due to non-relief by the Parent Organization for reasons beyond the candidate's control, the concerned institute/hospital shall forward the candidate's request for delayed joining to NBEMS, duly supported by documentary evidence, for consideration and approval.
- Such candidate shall be permitted to join the allotted seat **only after**:
- being formally relieved by the Parent Organization; and
 - obtaining prior approval of NBEMS for delayed joining.

9. The allotted institutes/hospitals shall be able to upload the joining details of such candidates in the OPJR portal only after completion of all rounds of counseling, i.e., after 20.08.2026.
10. A separate communication regarding activation of the OPJR portal shall be issued by NBEMS in due course. All candidates and institutes/hospitals are advised to regularly visit the NBEMS website and remain updated with the notices/instructions issued by NBEMS from time to time.
11. For any clarification or assistance, queries may be submitted **only** through the **NBEMS Communication Web Portal**:

<https://exam.natboard.edu.in/communication.php?page=main>



NBEMS